

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्था/2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री श्रीमती तुलसी मीणा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडोदिया, चाकसू, जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोडकिया आंजना, तहसील पाटन जिला बुन्दी किया गया था जिसके विरुद्ध श्रीमती तुलसी मीणा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3926/2019 श्रीमती तुलसी मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3926/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती तुलसी मीणा को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में 20 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पारिवारिक कारणों को मददेनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि कलवाडा, सांगानेर, जयपुर अथवा राउमावि भारनपुरा जाटान, जमवारामगढ, जयपुर अथवा राउमावि दान्दोली, दूदू, जयपुर में प्रधानाचार्य समकक्ष के रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अपील अधिकरण निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त स्थानान्तरण आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे उनके प्रकरण पर विचार किया जाना संभव हो। राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा राज्य सेवा के अधिकारी को प्रशासकीय आवश्यकता, विभागीय प्राथमिकता, छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 1993 SC 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रमाणित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब व कहां प्रतिस्थापित करे।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती तुलसी मीणा द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बंधित सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/तुलसी/3926/2019

दिनांक: 02.12.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/कोटा संभाग।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/कोटा को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती तुलसी मीणा के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध सीसीए-17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच अनुभाग प्रथम को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक कोटा/जयपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जयपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती तुलसी मीणा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोडकिया आंजना तहसील केशोराय पाटन जिला बुन्दी।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


- संयुक्त निदेशक(कार्मिक)